Limited, with a view to securing the proper management of such undertakings so as to subserve the interests of the general public by ensuring the continued manufacture and production of electrical equipments which are essential to the needs of the economy of the country and for matters concerned therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

*Clauses 2 to 31 and the Schedule were added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.*

SHRI J. VENGAL RAO: Sir, I move:

"That the Bill be passed."

*The question was put and the motion was adopted.*

---

## THE NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD BILL, 1987.

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI G. S. DHILLON): Sir, I beg to move:

"That the Bill to declare the institution known as the National Dairy Development Board in the State of Gujarat to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for the vesting in that body corporate of the undertakings of the Indian Dairy Corporation with a view to provide for the administration and the carrying on of the functions to be performed by the body corporate more effectively throughout the country and for matters connected therewith and incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

I would like to apprise the House of the background and importance of the Bill. The National Dairy Development Board was set up in 1965 by the Government of India as a registered society with the primary objective of providing technical services to the implementing agencies in building up their dairy products on cooperative lines on the pattern of Kaira District Cooperative Milk Producers Unit Anand, popularly known as the "Anand" pattern. The NDDB assists the various States Dairy Cooperative Federations in the preparation of feasibility reports and providing technical assistance in the field of production, procurement, processing and marketing of milk. The National Dairy Development Board has been progressively playing a vital role together with the Indian Dairy Corporation, that is, IDC which is a company, formed in 1970 to give supportive assistance to the implementation of the Operation Flood programme. Suggestions, recommendations have been made from time to time for the amalgamation of NDDB and IDC for better services. The Central Government had appointed a High-powered Committee in 1984, headed by Shri L. K. Jha, commonly known as the Jha Committee, which recommended for formation of a new statutory body to perform the functions of both these institutions. This body should have full freedom and flexibility in operation not less than what the NDDB and IDC have enjoyed so far.

9 P.M.

To achieve the above objectives it is proposed to declare the National Dairy Development Board as an institution of national importance and incorporate it as a statutory body. With the enlargement of functions of the NDDB over the years it is felt that the functions of both the institutions can henceforth be performed by the corporate body and as such it is proposed to vest the undertaking of IDC in the corporate body and dissolve the Indian Dairy Corporation.

The name of National Dairy Development Board is retained for the corporate body so that there may be continuity in reputation and understanding, both in India and abroad.

The main features of the Bill are as under:—

(i) NDDB will be declared as an institution of national importance and corporate status conferred on it.

(ii) IDC will be dissolved.

(iii) The assets|liabilities etc. of the NDDB and the IDC will become the assets and liabilities of the new corporate body which will continue to be called National Dairy Development Board.

(iv) The Board will be managed by a Board of Directors as spelt out in the Bill.

(v) The existing full time officers and other employees will continue in the National Dairy Development Board but the Board can make such orders as may be necessary for restructuring and streamlining the organisational and functional set up of the Board in order to secure utmost efficiency in its functioning as has already been spelt out in the Bill.

(vi) The Mother Dairy, Delhi, shall be a subsidiary unit of the NDDB with separate identity.

(vii) Apart from enabling it to carry on the existing and enlarged functions, provision is being made to enable the Central Government or any State Government to entrust the NDDB with any activity it considers necessary.

The Bill seeks to achieve the above objectives.

In the light of the above, I commend the Bill for the consideration of the House.

*The question was proposed.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Shri Jagdambi Prasad Yadav.

श्री जगदम्बी प्रसाद यादव (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, जहां तक राष्ट्रीय डेरी विकास परिषद और राष्ट्रीय डेरी निगम के एक बनाने की बात है वहां तक किसी को कोई विरोध नहीं होगा लेकिन बनाने के वक्त में भी मैं एक बात जरूर माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दो समितियों, एक झा समिति और दूसरी लोक लखा समिति ने यह कहा था कि नेशनल डेरी डिवैलपमेंट बोर्ड को आई.डी.सी. में मिला देना चाहिए, अब आई.सी.सी. को उससे मिलाया जा रहा है, इस मिलाने में कुछ प्रक्रिया की कठिनाई है या कुछ मोटिवेटेड रूप है इसका इसलिए थोड़ा सी सफाई यह चाहता हूं और थोड़ी सफाई इसलिए भी चाहता हूं कि मंत्री जी इसमें एनीमल हसबैंड्री डिपार्टमेंट भी है, डेरी डिवैलपमेंट भी है, इसका क्या होगा ? फिर दूसरी बात इसकी निकलकर आती है कि इसके जो एम्पलायी हैं, अधिकारी और कर्मचारी तथा तकनीकी कर्मचारी, उन सब का क्या होगा अभी-अभी आपने मदर डेरी की बात की हैं, अभी हड़ताल भी हुई और सब्सीडियरी कह करके आपने मैं समझता हूं कि उस मैटर को हैंगिंग छोड़ दिया है। आपको पता होगा कि ई.ई.सी. से जो पैसे मिले थे करोड़ों-करोड़ रुपया जो उसके दूध से वितरित हुआ था, उससे आवश्यकता थी कि मदर डेरी पूरी की पूरी एस्टैब्लिश हो जानी चाहिए थी, वह नहीं हुई। तो यह कुछ प्रश्न हैं और इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि कि इसमें से कोई भी आदमी इन दोनों के समन्वय होने पर बेकार न हो कोई आदमी पीड़ित न हो, कोई आदमी इसके कारण भटक न जाय या उसको प्रोन्नति या उसका ग्रेडेशन में कहीं कोई कठिनाई में न पड़ जाय। इसका ध्यान रखना नितांत आवश्यक है। मैं देखता हूं कि जब यह दोनों अलग-अलग थे तब भी मंत्री जी, एडीशनल सेक्रेटरी का पद, एडीशनल कमीश्नर का पद वर्षों खाली रहा। अगर इस तरह खाली रहेगा तो पता नहीं आप किस तरह से इसको चला लेंगे।

फिर एक बात और, जो अनुभव बताता है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड का कार्यालय पहले

[श्री जगदम्ब प्रसाद यादव]

बंबई में था, देशव्यापी उसका कारोबार होता था और सबको उसका लाभ था। लेकिन मिल्क खासकर मलबरी, उसका क्षेत्र मैसूर और बैंगलोर में रहा तो यह कार्यालय भी उठाकर बैंगलोर ले जाया गया। बैंगलोर ले जाने के कारण हम लोग बिहार में टसर के जोन के पड़ते हैं, आसाम मुंगा दुनियां में एकमात्र पैदा करने वाला है, तो वह मुंगा डार्इंग स्टेज पर आ गया और जितना लुक आफ्टर होना चाहिए था। नहीं हो रहा है। मुख्यालय का भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। मैं आनन्द का कोई विरोधी नहीं हूं बल्कि आनन्द का प्रशंसक हूं, जो कारोबार उसने किया है, सचमुच वह देश के लिए एक आदर्श प्रस्थापित किया है। लेकिन उसी आधार पर अगर आनन्द को मुख्यालय बना दिया आपने, तो एक बार संपूर्ण देश के हिसाब से उस पर चिंतन करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पर थोड़ा चिंतन कीजिए, जिससे संपूर्ण देश को नियंत्रित करने में मुख्यालय अपनी भूमिका ठीक-ठीक निभा सके। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि आनन्द में सब तरह से अच्छाई होते हुए भी सेण्टर-पाइंट पर नहीं है उसका क्लेवर भी एक प्रांतीय स्तर का है। मैं चाहता हूं कि उसका चरित्र भी, उसकी भूमिका भी राष्ट्रीय स्तर की हो, जो अंतर्राष्ट्रीय जगत का भी प्रतिनिधित्व कर सके। इसलिए मैं इस पर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

महोदय, मैं आपका ध्यान इसकी कुछ और चीजों पर ले जाऊं, उसके पहले डेयरी जगत में और कृषि जगत में दो व्यक्तियों का उल्लेख अगर न करूं तो मैं समझता हूँ कि देश के लिए और काम करने वाले के लिए नहीं होगा। एक तो डा. कुरियन जो स्वयं में एक व्यक्ति नहीं बल्कि बल्कि एक इंस्टीट्यूशन हैं, और इस इंस्टीट्यूशन के नाते उसने जो गुजरात की और गुजरात के साथ देश की सेवा की है, वह मैं समझता हूँ कि उसका कोई मुकाबला नहीं है। उसी तरह से डा. एम.एस. स्वामीनाथन् ने कृषि क्षेत्र में बहुत काम किया है। बड़े काम करने वाले का विरोध भी बड़ा रहा है। यह मैं नहीं कहता कि विरोध नहीं रहा है, दोनों का विरोध रहा है मैंने भी जहां-जहां विरोध की आवश्यकता समझी, विरोध किया। लेकिन जो गुण है, उस गुण को भी कहने में कोई कोताही नहीं की, कमी नहीं की। अब डा. कोरियन को एक इंस्टीट्यूशन के नाते प्रसंशा करता हूँ वहीं दो बातों में मुझे एतराज होता है। एक, मैंने उनके सामने भी कहा था, जो आपरेशन-फ्लड नाम रखा है, उचित नहीं है क्योंकि फ्लड हमेशा विनाश का सूचक होता है। दूध का फ्लड विनाश का सूचक न हो बल्कि एक आनंद का सूचक हो, इसके लिए मैंने कहा था कि इसका नामकरण कुछ और कीजिए, जिससे फ्लड का नाम न आए। यहां दूध-घी की नदियां बहती हैं, दूध-घी को बाढ़ नहीं आती है। तो एक मैंने नाम का उनको कहा था। दूसरे, मुझे एतराज है, या तो डा. कोरियन का फिलोसफी आफ मिल्क नहीं है, या अगर फिलोसफी आफ मिल्क है तो वह ठीक नहीं है। उदाहरणस्वरूप मैं आपको कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में दूध की कमी है, हिन्दुस्तान में अच्छी नसल की गाय-भैंसों की कमी है, हिन्दुस्तान में लोगों को, खासकर ग्रामीण अंचल में पौष्टिक आहार के लिए सिवा दूध के दूसरा कुछ नहीं है। क्रीम, मक्खन निकाल कर खाया जाय तब क्या दूध ग्रामीण अंचल का पौष्टिक आहार है? मैंने पूछा कि आप गांवों से एक-एक छटांक ले जा रहे हो, ग्रामीणों क्या होगा? उन्होंने कहा कि पैसा देते हैं। अगर गांव से दूध निकल गया तो वह अंडा, मांस, मछली खरीदकर नहीं खा सकेगा। मैंने इस बारे में कृषि मंत्रालय को भी कई बार कहा है हालांकि गुजरात एक धनी राज्य है, संपन्न लोग हैं, लेकिन जो रिपोर्ट निकली है उसमें यह आया है कि गुजरात में टी० बी० के केस, यक्ष्मा के केस की संख्या बढ़ी है, देश के औसत से। गुजरात में बच्चों की मौत की संख्या भी औसत से अधिक बढ़ी है। इसका कारण मेरी नजर से और

सर्वेक्षण करने वाले की नजर से दूध की कमी है। महोदय, यह जो डेअरी डवलपमेंट है इसमें गांव से दूध उठाने में सारे-के-सारे लोग लगे हुए हैं क्योंकि शहरों में गांव की अपेक्षा लोग दाम अधिक देते हैं। इसलिए सारा दूध गांव से उठकर शहर चला जाता है।

**उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई)** : अब समाप्त करें। काफी हो चुका है।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : यह तो ऊंट के मुह में जीरा वाली बात है। अगर नहीं बोलने देते हैं, तो मैं नहीं बोलता। लेकिन जो इन्होंने कहा है, वह तो बोलूं। महोदय मैंने आनंद में भी खेरा डिस्ट्रिक्ट में भी जाकर देखने की कोशिश की और उनको कहा। उन्होंने उसमें दो सुधार किये। एक तो सुबह-शाम दो शीशी बड़ी-बड़ी दुग्ध की निकल जाती हैं और महीने में तीस दुना साठ शीशी दूध तो हर किसान का निकल जाता है। उन्होंने इसमें सुधार किया। दूसरे मैंने देखा कि किसान से तो दूध 2 रुपए लिया जाता है और यदि उसको आवश्यकता पड़ जाय तो उसको 3-4 रुपए के हिसाब से लेना पड़ता है। मैंने पूछा तो जवाब दिया गया कि इनको दूध देंगे तो ये उसे बाजार में बेच देंगे। मैंने कहा कि एक-दो किलो तो बच्चों के लिए ही लग जाएगा और फिर बाजार में वह कैसे बेचेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि डा० कुरिअन की जो फिलोसफी है, उसमें सुधार की आवश्यकता है। कई गांव की कमेटियों ने कहा है, सरकारी उपक्रम समिति ने कहा है कि गांव में दूध का कंजप्सन घट गया है। उन्होंने और साफ करते हुए कहा है कि गरीब दूध नहीं पी पाते हैं। इसका सरकार सर्वेक्षण करे और इसकी क्या व्यवस्था हो सकती है, इस पर विचार करे। महोदय, मैं ग्रामीण इलाके से आता हूं। बचपन में हमने देखा है, उस समय दूध से क्रीम निकालकर फेंक दिया जाता था। उसे गरीब-गुरबा ले जाते और उसको खाते थे। आज वह भी नहीं मिल रहा है। गांव में अगर सबेरे कोई मेहमान चला जाय तो उसको चाय के लिए दूध नहीं मिलेगा।

महोदय, दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कोआपरेटिव सर्वश्रेष्ठ आदर्श है। इसमें किसी को शंका नहीं रही। साम्यवादी देश को भी नहीं लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वह लगता है कि कोआपरेटिव आधार पर नहीं बन रहा है। आप बोर्ड की व्याख्या देखिए चेयरमैन, डायरेक्टर कौन बनेगा। पता नहीं। ऐसा लगता है सरकारी नौकर आएंगे। लेकिन वे कितने दिन रहेंगे एक-दो बरस, दस बरस, सौ बरस। आपने कहा कि सरकार चाहे तो फिर नोमिनेट कर सकती है। एक वर्ष में क्या होगा? वह प्रशिक्षित होगा और फिर चला जाएगा। तो कहीं-न-कहीं पर तो इसमें आनिश्चितता होनी ही चाहिए। मैं समझता हूं कि आपने फ्री माइंड होकर इस बिल को ठीक से देखने की कोशिश नहीं की। इस बिल में निदेशक की पूरी-की-पूरी व्याख्या होनी चाहिए थी। उनकी जिम्मेदारी, पावर, लायबेलिटी पूरा विवरण आना चाहिए था। लेकिन जो विवरण आया है, उससे यह बात साफ नहीं होती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस पर ठीक से विचार करें क्योंकि यह एक्ट बनेगा, रूल बनेगा तो उसको दोनों के हिसाब से देख लीजिए। मैं इसको, इसलिए कहता हूं कि इनमें 21 प्रतिशत लोग भूमिहीन भाग ले रहे हैं और 66 परसेंट छोटे किसान भाग लेते हैं। 70 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास मवेशी भी दो या तीन से अधिक नहीं हैं। इसलिए इनका हिसाब कोआपरेटिव आधार पर हो। मैं गुजरात को धन्यवाद देता हूं, लेकिन उसके साथ ही मन में चिढ़ भी पैदा होती है कि हम उसके समान अपने राज्य में नहीं चला पाते हैं। गुजरात के लोग सहकारिता विचार के हैं। इसलिए उनके यहां यह हो पाता है। इसलिए आनंद को सफलता मिलती है।

[श्री जगदम्बी प्रसाद मांदब]

दूसरी बात जो मैं इसमें उपयोगी पाता हूं वह है डेरी का काम । अभी तक डेरी का काम क्या रहा ? उसका काम रहा दूध का संचय और वितरण करना। लेकिन डेरी ने अपना ही डेवलपमेंट किया, दुध का उत्पादन करने वाले पशुओं का डेवलपमेंट नहीं किया। सरकारी उपक्रम समिति ने आलोचना की है कि 140 लाख शंकरण पशु आपका है व 1990 तक आपने संकर गाय देने की बात कही थी लेकिन अभी तक गावों में संकर किस्म की गाय नहीं पहुची। इसलिए मैं बार बार मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि बिहार में कितने गांवों में संकर किस्म की गायें हैं आप बताएं। शहरों में तो कुछ लोगों के पास हैं । इसलिए जब तक संकर किस्म की गायें गांव वालों के पास नही होंगी, दूध का उत्पादन नहीं बढ़ सकेगा।

उसी तरह से आपने बताया है कि 1969-70 में 216 लाख टन था जो 1986-87 मे दूध का उत्पादन बात बढ़ा है। वह 216 लाख टन से 3 लाख 87 हजार टन हो गया है, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर भी समिति के सदस्यों ने शंका प्रकट की है । सारी जगहों में सर्वेक्षण नहीं हुआ तो रिपोर्ट कैसे ठीक आ सकती है? उसी तरह से आपने उत्पादन के दूसरे लक्ष्य रखे हैं जहां पर बन्त सी जगहों पर पौष्टिक आहार का कार्यक्रम बनाया है और आपके स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेषज्ञों ने कहा है कि एक व्यक्ति को 220 ग्राम दूध प्रतिदिन चाहिए लेकिन अभी तक इतना ढिंढोरा पीटने के बाद भी आप 144 ग्राम दूध ही प्रति व्यक्ति को प्रति दिन दे पा रहे हैं जो कि 1990 तक 168 ग्राम होगा। तो दूध की पैदावार हम कितना बढ़ा पा रहे हैं, इसको आप देख लें। मैं जानना चाहता हूं कि आप अच्छी गायें बडी संख्या में लोगों के पास पहुचाने के लिए क्या कर र हैं । जिन लोगों की बात आप करते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, जो सभी सीमान्त किसान हैं, बटाईदार हैं मजदूर हैं ,उनके ऊपर उठाने का एक ही उपाय है कि आप उसको अच्छी संकर किस्म की गाय उपलब्ध कराइये । 20 सूत्री कार्यक्रम में, आइ० आर० डी० पी० आदि में गायों का वितरण किया गया, लेकिन उनसे दाम अधिक लिए गये तथा गाय और भैंस उनको अच्छी नहीं दी गई । सचमुच में हम गांवों का यदि उत्थान चाहते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि किसान का सबसिडियरी फाइनेंसिंग करने का रास्ता मवेशी ही हैं । हम लोग गंगाजी के पास रहते हैं और गंगा जी जब हमारी जमीन को बरबाद कर देती है तो हमारे लिए मवेशी के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है । इसलिए हम चाहते हैं कि आप मवेशियों की ओर ध्यान दें क्योंकि हम जानते हैं कि उनको कैसे पाला जाता है ।

मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा कि डा० क्लार्क अलवारिस ने कहा है कि "सफेद झूठ है श्वेत क्रांति के दावे" । उन्होंने वर्ल्ड बैंक का भी उदाहरण दिया । वह शायद अब सहायता भी नहीं दे रहे हैं । पत्र के कतरने हमने आपको भेजा है, जवाब नहीं मिला है । उसमें इसके कई प्रश्नों का उल्लेख किया है । उसमें उल्लेख किया है कि डेरी का सिर्फ एक ही काम नहीं है डेरी के और भी कामों से इसकी जांच पडताल होनी चाहिए। मैं उसमें न जा करके मैंने आपको जो लिखा है क्योंकि उसका आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको देख लें हो सके तो इसका जवाब भी हमें प्राप्त करा दें तो अच्छा होगा।

पशुधन का जो पालन है आज कृषि से अधिक महंगा हो गया है। नेचुरल कलेमिटी की बात करें तो अनाज भेज सकते हैं लेकिन पशु के लिए चारा भेजना मुश्किल हो रहा है । उनको हटाना शुरू कर दिया है । जिस तरह से अनाज का वितरण साधारण काम नहीं है उसी तरह से मवेशी के चारे का वितरण भी साधारण नहीं है । अनाज और पशु का चारा एक दूसरे पर आश्रित हैं । अनाज वगैरह निकालने के बाद जो

भूसा, डंठल, छिलका वगैरह बच जाती है उन्हें मवेशी खाते हैं । लेकिन आज वह स्थिति बदल गयी है । मवेशियों का रखना महंगा हो गया है । मैं समझता हूं किसान को जब तक हम दूध के दाम पर्याप्त नहीं देंगे तब तक न मवेशी को पाला जा सकता है और न दूध ही मिल पायेगा । मैं इसलिए कहता हूं कि दूध का दाम जो निश्चित करते हैं वह घी के दाम से और घी का दाम निश्चित करते हैं वनस्पति से, यह तरीका ठीक नहीं है । दूध का दाम आप कृषि जन्य चीजों से अगर आप करेंगे तो यह ठीक हो पायेगा नहीं तो कुछ नहीं होगा । मैं चाहता हूं इसको जरा आप देखें कि डेरी जो सचमुच कृषि से सम्बन्धित है उसको कैसे आप जोड़ सकेंगे ।

डेरी और उद्योग दोनों से मिलकर जो दूध संचय होता है, 11 प्रतिशत होता है और प्रेश्च्युराइज्ड 5 परसेंट होता है । अनेक शहरी लोगों को इस डेरी से लाभ होता है लेकिन गांव वालों का इसमें क्या दोष हैं जो उनको इसका लाभ नहीं मिल रहा । मैं चाहूंगा आप जरा इस पर विचार करें । उपसभाध्यक्ष जी का जो बार-बार आदेश हो रहा है इसलिए मैं इसको लम्बा न ले जाकर अन्त में दो-एक बात पूछना चाहता हूं । इसको कोआपरेटिव, सहकारिता का सर्वश्रेष्ठ आदर्श माडाल बनायें इसकी व्यवस्था आप किस आधार पर कर रहे हैं? दूसरे दूध का संचय करें और उसका वितरण करें लेकिन दूध संचय को हम सिर्फ जो शहर वाले हैं उन्हीं के लिए न करें आप जो 75 करोड़ रुपये का बरसों से विदेशी दुग्ध चूर्ण और बटर आयल निशुल्क मंगाते हैं वह किनको पिलाते हैं ? शहरियों को पिलाते हैं । आपने कभी गांव वालों को नहीं दिया । यह सारी व्यवस्था, डेरी डवलपमेंट क्या शहरों के लिए हो रही है ? 80 परसेंट लोग गांव में रहते हैं जिनके लिए आपने कोई दुकान नहीं खोल रखी है । उनके पास इतना पैसा भी नहीं हैं कि वे उस पैसे से दूध भी उठा लें । मुझे याद है 1942 से पहले की बात । युद्ध में अंग्रेजों ने सारा अनाज खरीद लिया और जब आम की गुठली पर जनता आ गयी तो उन आम की गुठलियों को भी उन्होंने खरीद लिया और सड़ा दिया जिसके अभाव में लाखों लोग मरे । यह मत सोचिए कि हमने पैसा दे दिया है गरीब किसानों को वह खरीद लेंगे । मैं आपसे कहता हूं कि गांव के गरीब दूध को पी सकें, अपने बच्चों को, बूढ़ों को पिला सकें, गर्भवती महिलाओं को पिला सकें ऐसी व्यवस्था आप डेरी डवलपमेंट के माध्यम से करायें । धन्यवाद ।

**श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल** (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी ने विधेयक लाये हैं, इसका मैं पूरा समर्थन करता हूं, इस विधेयक में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कोई संशय पैदा हो । श्री जगदम्बी प्रसाद यादव जी ने कुछ सवाल खड़े किये हैं । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आज एक फेशन हो गया है कि अगर कोई कार्पोरेशन बने या किसी संस्था का हैडक्वार्टर बने तो शहरों में ही रहता है । गांवों में जाने के लिए कोई तैयार नहीं है । गुजरात में आनन्द ही एक ऐसी जगह है जहां पर यह डेरी बनी हुई है । आप जानते हैं कि आनन्द एक गांव है । वहां पर इस डेरी की स्थापना की गई है । अगर आप गांव से हटाकर इस प्रकार की संस्थाओं को शहरों में लाएंगे तो यह गांव वालों के साथ अन्याय होगा । मेरा गांव वहां से आठ किलोमीटर की दूरी पर है । आपने कहा कि वहां पर टी०बी० हो जाता है । हमारे यहां तो किसी को टी-बी० नहीं है । किसी इंडस्ट्रियल टाउन में यह बात हो सकती है ।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : इस बारे में सर्वेक्षण निकला है उसकी बात मैंने की है । किसी ने उसको कंट्रेक्ट नहीं किया है । यह बात कई बार कही गई है ।

**श्री विट्ठलभाई मोतीराम पटेल** : आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस डेरी को सबसे पहले आशीर्वाद बाबू राजेन्द्र प्रसाद जी ने दिया था । उनके आशीर्वाद से ही यह संस्था आज इतनी फल-फूल रही है । वे चूंकि बिहार के थे, इसलिए मैं कह रहा हूं ।

[श्री विट्ठलभाई मोती राम पटेल]

हमारे गुजरात में सहकारिता के आधार पर ये संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं । क्योंकि वहां पर कोई पोलिटिक्स नहीं है, राजनीति नहीं है। उनमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है । गड़बड़ी वहां होती है जहां बिजनैस होता है । गुजरात की तरह आप को बिहार में सहकारिता के आधार पर डेरी चलाई जाय तो उससे सबको फायदा होगा । इस डेरी का एक बोर्ड होता है । यह बोर्ड सरकार से पैसा नहीं मांगता है । बोर्ड का अपना फण्ड होता है । अगर यह बोर्ड पैसा मांगे तो सरकार को पैसा देना चाहिए । दूसरी जगहों पर डेरीज को डेवलप करने में यह बोर्ड काफी मदद कर सकता है ।

एक बात में यह भी कहना चाहता हूं कि आपने इन दोनों संस्थाओं का मर्जर कर दिया है । मैं यह कहना चाहता हूं कि मर्जर के बाद जो कर्मचारी यहां काम करते हैं उन पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए । इस बारे में किसी प्रकार की कोई कम्प्लेन नहीं होनी चाहिए । मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात की तरफ खास ध्यान देंगे । यह बोर्ड की पावर में भी नहीं है क्योंकि कर्मचारी सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अधीन हैं । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, India is a country of milk and honey. Some of the unimaginative policies have resulted in the cutting of forests. In that way, honey is not there and the milk production also because of lack of fodder has come down remarkably. No doubt, the Bill is a good step forward. As the speaker preceding me has stated, children should get milk. Poor mothers also should get milk. That is the priority. If these two sections do not get milk, then the entire milk scheme is a failure. Our per capita consumption of milk is one of the lowest; it is 144 gms while it should rise to about 800 to 1000 gms. So also the milk yield of the cow or the buffalo is very low and we must raise it by good breed to give us a yield of 20 kg. per day for 300 days in a year. This is very important and the new Board should consider this aspect.

About cooperatives, unless we give emphasis on our zila parishads, our panchayat samitis and village gram panchayats, we cannot ensure achievement of our objective. These are the bodies on which gram swaraj rests, so also the development of the village and successful functioning of our scheme. We have to have elections for these bodies, especially in cooperative societies. Nowdays, the cooperative societies are in the pockets of certain persons. These must become democratic institutions; there should be elections and there should be a linkage with the rest of our development programme, and only then it will be purposeful. The single window system which has been evolved is a very fine method of our development, so also coverage of the remote villages. It is a very important point because all this governmental type of functioning goes only on the road side; collection process in on the road side and we are satisfied with our big milk schemes and we feel all these are being implemented. But we have to cover all these remote villages and establishment of collection centres etc., will have to be properly planned, and this is one of the very important things that the new Board will have to look into.

Then coming to loans, it is very important especially to agricultural labour, the women folk of agricultural labour who should be able to get these loans. There also, there sohuld be a method. We have to ensure that there is continuous flow of order. Every village should have some grazing ground so that all the cattle can get their feed which is becoming very costly everyday, and it is very necessary to ensure proper supply of fodder to make our programme successful.

Then, there is need to associate veterinary doctors and the department of animal husbandry at every stage. I suggest

in the Board itself one of the Directors should be a specialist and in the various functions of the Board, there should be direct involvement of such persons, especially agricultural universities and veterinary hospitals, and they should be associated with all our schemes.

We are thinking of a Central Bill. I sugest, you make it a point to always know the opinion of the States about it. Don't take States for granted. This is a thing which always leads to very unfair results. There may be development in certain areas and there may be no development in other areas. Imbalance will be there, both in production and distribution. And this imbalance will finally become a political imbalance in the entire setup itself.

About milk products, production of milk powder and its distribution is also one of the very essential things which has to be taken care of, because milk powder can be easily transported and it can be very good nutritious supplement to the children. But all these things will have to be planned to see that all our villages are covered.

About the Chairman and about the functioning of the Committee, I feel all these things have to be worked out because as it is, we depend more on the nominations and unless farmers' representatives are associated, and unless they cooperate, it will be difficult. They should find a place in the Board of Directors and we should create such conditions that at every level, the farmers' asociations should be there for the proper functioning of the National Dairy Development Board. It is good that a merger is taking place. The Indian Dairy Corporation is being merged with the National Dairy Development Board and a new corporate body will be there to concentrate and work in the field for the purpose of development of the scheme in all its aspects, in the entire country. At the same time, I would like to suggest that the milk development boards of the States should be associated with the functioning of the Central Board in a very very meaningful manner. In the general body also, representatives of the State development boards must find a place. Similarly, representatives of the co-operatives. Similarly, representatives of distriit development boards, non-officials, Parliament Members, Legislators, and other elected personnel should aso be associated with this scheme. Sir, I would like to emphasise that one success does not mean success every time. No doubt, Anand has done well, but it has its own limitations. If we are trying to experiment it, if we are trying to take it up as a pilot project in the entire country, there will be lot of problems. This scheme has very huge dimensions. That is why proper understanding and proper thinking should go into the functioning of this Development Board. Thank you.

**श्री मीर्जा इर्शादबेग :** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही मिनट लूंगा । मुझ एक ही बात कहनी है ।

वैसे तो उपसभाध्यक्ष जी, यह एक बड़ा ही अच्छा बिल सदन के सामने लाया गया और पूरे देश में डरी डवेलपमेंट क और विस्तृत किया जाए, उसके बारे में बड़ी अच्छी एजेशंस आई हैं, लेकिन मुझ आपत्ति जो है वह अब इस स्तर पर तो मैं एक सजेशन दे सकता हूं, लेकिन मैं आपके माध्यम से, मंत्रीजी से, यह कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय डेरी विकास के जो प्रबंध की बात बताई गई है इस विधेयक में, उसमें मेरा यह कहना है कि उसके अध्याय 3 में राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का प्रबन्ध, इसकी धारा (2) में कहा गया है कि :—

(2) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का निदेशक बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :—

(क) एक अध्यक्ष,

(ख) केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से एक निदेशक,

(ग) राज्य सहकारी डेरी परिसंघों के अध्यक्षों में से दो निदेशक,

[श्री मोर्जा इर्शादबेग]

(घ) राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के उच्चतम श्रेणी के कार्यपालकों में से तीन से अनधिक पूर्णकालिक निदेशक,

(ङ) एक निदेशक, जो राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड से बाहर का कोई विशेषज्ञ हो ।

मान्यवर, हम यह मानकर के चलते हैं कि जो ब्यूरोक्रेटिक पैटर्न है, वह भी देशभक्ति है और उनके साथ में देश के विकास के लिए उसमें उनका हमेशा सहकार रहा है, लेकिन इसके बावजूद मैं यह कहना चाहूंगा कि कहीं-कहीं ऐसी भी त्रुटियां पाई गई हैं ।

मैं यह समझता हूं कि सम्पूर्णतया किसी भी चीज को ब्यूरोक्रेटिक अपनी स्टेट पैटर्न पर नहीं छोड़ देना चाहिए । मैं मांग करता हूं कि राष्ट्रीय जितने भी विकास बोर्ड हमारे बने हैं, उन तमाम बोर्डों में जनता के प्रतिनिधियों का हमेशा उसके अंदर कहीं न कहीं स्थान होना चाहिए । कितने ही बोर्ड हमने देखे हैं जिसमें राज्य सभा के भी प्रतिनिधि मौजूद हैं और लोक सभा के भी प्रतिनिधि उसमें मौजूद हैं ।

तो मैं आपके माध्यम से, मंत्री जी को कहना चाहूंगा इस चीज को, कि यह कहीं बाजू में चली गई है और उसमें जनता के प्रतिनिधियों का सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं है । मैं समझता हूं कि यह बात लम्बी अवधि के लिए अच्छी नहीं होगी । मेरा एक मांग है कि इसके अंदर जनता के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, कम से कम राज्य सभा के एक प्रतिनिधि को लें और लोक सभा से दो प्रतिनिधियों को उसके अंदर शामिल करने की मैं जोरदार मांग करता हूं और मेरी इस बात पर शायद पूरा सदन सहमत होगा कि उसके अंदर जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए ।

SHRI THANGABAALU (Tamil Nadu): I endorsed the suggestion of Mr. Irshadbaig.

SHRI RAMESHWAR THAKUR (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to support the National Dairy Development Board Bill, 1987. Sir, it is a very very comprehensive Bill and therefore it deserves all round support, rather unanimous support from all Members of this august House. As we all are aware, NDDB was established 15 years back and has a very successful story behind it. It has done a commendable work in the field of production, procurement, processing and marketing of milk.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Rameshwar Thakur, just five minutes.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: The Minister of Parliamentary Affairs said that I could continue for nearly two to three hours, but now I will take about 15 to 20 minutes and I would like to do justice with this very important Bill.

As we are all very proud of the green revolution in the country before which we were dependent on imported food, similarly, we are all proud of the white revolution that has been brought about in this country and the pride for it goes to the NDDB and its associate IDC. We are all aware of success of the operation flood. I will not go into its detailed story, but as you are aware out of 216 districts, 168 districts are covered by about 50 lakh farmer families who are members of the 49000 cooperatives which are dealing with milk in the country worth about Rs. 900 crores and as Shri Yadavji pointed out, 21 per cent of the people engaged are landless, 66 per cent are having less than 4 acres of land. This is something very very commendable success. Therefore, it is but natural that the Government in their wisdom has given due recognition on the basis of the recommendation of the sub-committee headed by Shri L. K. Jha and other experts, that it has been given true status, it is now being established as a statutory corporation by an Act of Parliament. Firstly, NDDB was a society and IDC was a company under the Companies Act. Now it is a statutory corporation. It is a matter of pride. More important is

the declaration of this institution as of national importance. This is the matter which gives the entire story of success of NDDB and IDC. Really, we should pay compliments to both the organisations, particulary its chairman, Dr. Kurian, and all the dedicated and very efficient people and the officers and staff engaged in this successful movement and much more, I would say, to the 15 lakh farmers' families who have really contributed to the success of this movement. Therefore, this Bill is a very special Bill and a Bill which is very commendable in all respects.

There are a few aspects of the Bill which I would like to mention, not many of them now. One is about the acceptance as per the recommendations of the Jha Committee that the freedom and flexibility of operation hitherto available with the NDDB authority has been conferred upon this organisation. Secondly, when we have statutory corporations, a large number of limitations are there. Success of this society is a success of the voluntary movement in this country. It is a society and the other, we may say, is a charitable company. And therefore, its basic character of flexibility and freedom has been maintained. This is one of the important features which we should take note of. I hope after the corporation is formed in the new shape, it should not give up directly or indirectly its true right of flexibility of operation. Otherwise it will create more problems. In regard to various definitions about the milk products, now it has been very elaborately defined as well as restructuring and streamlining has also been defined in detail. This is a good feature.

Under section 4, it is named as a body corporate, and then it says that all the undertakings of the Indian Dairy Corporation will merge in it. Shri Yadav mentioned about merging NDDB with IDC. That will not have been proper. That was a company under the Companies Act. Now it is a statutory corporation under an Act of Parliament. Therefore this is the correct step. Under section 4 all the assets and movable and immovable property will now stand vested in the new Corporation. I would like to have only one clarification from the hon. Minister—whether these assets will be transferred to the new Corporation after evaluation or on book value. This is very important because this will form the basis of the assets of the new Corporation.

Secondly, in regard to the management of the National Dairy Development Board, section 8 prescribes: "The general superintendence, direction, control and management of the affairs and business of the National Dairy Development Board shall vest in a Board of Directors which shall exercise all powers and do all acts and things which may be exercised or done by the National Dairy Development Board." About the bureaucratic constitution of the Board, other Members have spoken about it and I would not like to repeat those points. But one aspect I may point out: when we read this section, we have to read it along with section 11. Section 11(1) says about the manner of transacting the business of the Board—here they have not set the powers of the Board which is under section 8—"subject to the provisions of this Act, the Board shall, in the discharge of its functions, act on sound business principles with due regard to public interest" Now the expressions "sound business principle" and "public interest" are important. These have to be adhered to and maintained in the years to come. But what is more important is—and this is where I want to bring out a certain degree of difference which needs consideration—that clause (2) of section 11 says: "Save as otherwise prescribed, the Chairman shall have the powers of general superintendence, direction, control and management of the affairs and business of the National Dairy Development Board". These powers under section 8 are vested in the Board. Here under section 11(2) these are vested in the Chairman. It may be expedited and quite all right in the present set-up, but it further goes on to say that when the Chairman is away or otherwise, he may authorise the seniormost of the whole-time directors to discharge all or any of his functions for a temporary period. Here it seems that these powers which are the

[Shri Rameshwar Thakur]

powers of the Board have been vested in the Chairman and if the Chairman would like to entrust these powers to the seniormost whole-time director, then it requires very careful consideration, because all the powers which are the powers of the Board and the Chairman cannot be vested in a whole-time director. So this needs a careful consideration in actual working.

Now the next thing is about the period. There is no tenure defined under section 9 (1) for the Chairman.

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** एक क्लेरीफिकेशन इसी के ऊपर और चाहिए कि बोर्ड का पावर फिर चेयरमैन को, फिर किसी निदेशक को, यह तीनों एक सा नहीं हो सकता। लेकिन यहां पर आकर तीनों एक सा हो गया है और एक सा हो जाने के कारण बोर्ड को जो शक्ति है सारे लोगों को मिलकर के, वह शक्ति किसी निदेशक को कैसे, इसका कुछ क्लेरीफिकेशन आप कर दें, जिससे मंत्री जी को भी सुविधा हो **(व्यवधान)**...

**श्री रामेश्वर ठाकुर :** मैंने क्लेरीफिकेशन तो कर ही दिया है। मैंने कहा, जो बेसिक पावर सेक्शन 8 में है, वह पावर वेस्टेड रहना ही चाहिए बोर्ड में और बोर्ड उन पावर में से, जिसको ठीक समझे अण्डर सेक्शन 11(2) में वह चेयरमैन को दे। चेयरमैन की जगह जो एक्टिंग चेयरमैन होंगे होल टाइम डायरेक्टर, उनको कुछ समय के लिए, अल्पावधि के लिए वही पावर दिए जाने चाहिएं। यह नितांन्त आवश्यक है। माननीय सदस्य उस पर गौर करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Under the supervision of the Board ... *(Interruptions)*...

SHRI RAMESHWAR THAKUR: This may now be prescribed in the rules and regulations which will be framed under subsequent clauses.

Another thing is about the tenure of Chairman. It has been said, at the pleasure of the Central Government or as the Central Government may decide or determine. I would very much urge that this uncertainty creates problems on many occasions. There should normally be a period of five years as has been the case with other Corporations, and then the Chairman should have a right to resign with three months' notice or he may be given three months' notice to vacate, as has been given in sub-clause (2) of clause 9. But a minimum period should be given. In the case of other Directors also, the period should be a reasonable period, and at least a period of three years should be given so that there is a certain degree of continuity. Otherwise, it should not be an uncertain period of time. In sub-clause (5) it is said it will be only one year. This also is too short a period, that is, in the case of nominees of the State Federations. I think, as provided now it may be one year, but it should be renewed for another year so that there is a certain degree of continuity.

Section 10 is important. It says "... observe such rules of procedure in regard to the transaction of business...as may be prescribed." Who is going to prescribe? It has not been spelt out whether it will be prescribed by the Government or under rules and regulations framed by the Corporation itself.

The next one is about meetings. It has not been said how many meetings will be held. I think, as per the normal norms, there should be four meetings at least in one year-one meeting every quarter Where the meeting will be held, this may be prescribed by the Chairman. But I think there must be a minimum number of meetings which must be held every year and, I would suggest, according to the accepted practice in other statutory Corporations and Government Corporations, a meeting once every quarter.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): According to the Company Law also.

श्री जगन्नाथ प्रसाद यादव : बिजनेस में क्वार्टरली नहीं होगा। इसमें अल्टरनेटिव माह होगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : उनका काम है मिनिमम करो। मीटिंग में जो निर्णय लिए जाएंगे, वह अलग जवाब हुआ। मीटिंग मिनिमम चार।

SHRI RAMESHWAR THAKUR: The next item is in regard to clause 11, that is, manner of transacting business of Board, which I mentioned earlier, and I would urge that this requires due consideration of the Corporation itself. Now, to save time I would like to pass on to some other important clauses.

Clause 14 is in regard to delegation of powers to the management committee. It mentions about the management committee. In a Corporation of this type and according to the pattern as developed in the public sector undertakings also, if it is any specific sub-committee, it is all right, but if it is a business committee or management committee, there should be only one management committee and not so many management committees as has been envisaged somewhere. Therefore, I would suggst that, if at all it is necessary, there should be only one management committee and not many management committees. But there may be many sub-committees for specific purposes.

Caluse 16 is about powers and functions of the Board. Many good and comprehensive clauses have been given here. Only, some of the aspects like holding properties, securing properties, etc., have not been given. These should have been givn. It seems this has been left out.

SHRI G. S. DHILLON: It has been given.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: What is the sub-clause in clause 16, Sir?

SHRI G. S. DHILLON: Well, I have something to that.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: According to me, it has not been specifically mentioned in section 16. That is the proper place to give.

Another important thing is national milk grid. This is very important, and a very important suggestion has come. I think, we should work, and we should be able to do it.

Also, the research aspect should have been given more importance, as it has been the basis of the NDDB and the IDC. Research has been mentioned in sub-clause (j). I hope, this research aspect of milk and other aspects of research will receive due consideration.

The next point is about the employees. Mr. Yadavji asked what will happen to employees. Some other Members also mentioned. The caluse is very clear, clause 18. I would like to conclude after this. This cause, clause 18 is very important. It says:

> "Subject to the provisions of section 19, every full-time officer or other employees holding office immediately before the appointed day, in the society or the dissolved company, shall, on and from the appointed day, become an officer or other employees, as the case may be, of National Dairy Development Board and shall hold office or service in the National Dairy Development Board on the same terms and conditions of service as he would have had under the society or the dissolved company, as the case may be, and shall continue to do so unless and until his terms and conditions of service are duly altered by the Board."

Therefore, all employees are fully protected. The only question is under clause 19 this power has been taken to streamline the organisational and functional set up of the National Dairy Development. I would not like to read out. But the important factor is about restructuring. In order to achieve more efficiency, if there is duplication, if there are two secretaries, there cannot be two secretaries, there must be only one secretary. Similarly there are many other places where there may be duplication or surplus or people

[Shri Rameshwar Thakur]

may be rendered redundant. For them, compensation has been mentioned in clause 20. I hope, this will be done in such a way that the maximum people will be absorbed in the work of the new Corporation. Possibly, most of the people will be absorbed. In the case of transfer, of course, there is no question of compensation in an organisation of this all-India importance. Now the transfer should be a normal practice from one unit to the other unit. Therefore, there is no question of compensation. But the rest of the people should get reasonable compensation. That is what I would say.

Now, at the end, I would like to mention that this is a very good clause in regard to exemption from income tax. This is one of the very important factors, which has been given. This Corporation deserves it. The Jha Commission has also recommended it.

One more aspect that needs consideration is with regard to audit. Clause 28 (1) says:

> "The accounts of the National Dairy Development Board shall be audited by auditors duly qualified to act as auditors of companies under the Companies Act, and the appointment of auditors and remuneration payable to them shall be subject to the approval of the Central Government."

This is absolutely all right as per the requirement. But I would say that the National Dairy Development Corporation has a very very sound basis of its own, and it should not give it up after becoming a Corporation, that is, the system of pre-audit. Very few such big organisations have got a system of complete pre-audit of each and every transaction. Therefore, the payment is being made. This sound practice should be maintained by the Corporation in the years to come.

Now the last one. I would like to mention in regard ...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Your last never ends.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: This is really the last.

Clause 46 says:

> "Any scheme or regulation made under this Act in relation to conditions of service or like matter of officers or other employees of the National Dairy Development Board, may be made retrospectively from any date not earlier than the appointed day."

Why this is made retrospectively, I could not follow. This is a matter which should be given due consideration. Nothing should be done, I would say, which affects the service conditions or terms and conditions or the normal benefits of the employees.

With these words, I support wholeheartedly this progressive Bill. This will be a very historic Bill when this Bill will be passed by this august House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You have studied very well. Shri Ram Awadhesh Singh.

**श्री राम अवधेश सिंह** (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जब यह बिल हाथ में आया तो लगता था कि ऊपर से देखने पर कोई प्रगतिशील बिल आया है और उसका समर्थन करना चाहिए लेकिन जब इस बिल को ठीक से पढ़ा गया, मेरी शिकायत है कि इसके लिए टाइम ज्यादा चाहिए था सदन में और इस पर पूरे विस्तार से बहस होनी चाहिए थी, महोदय, इस बिल की धारा 8, 9, 10 को देखने से पता चलता हैं कि इसमें जो भी कहा गया है उसको दूसरी तरफ से छीन लिया गया हैं। एक तरह से अटोनोमी को खत्म कर दिया गया है। कोआपरेटिव मूवमेंट की आत्मा है स्वायत्ता और स्वायत्ता को इसमें पूरी तरह से खत्म करके केन्द्रीय सरकार को केपटिव बनाया गया हैं। जो पूरे बोर्ड का गठन किया गया है उसके बारे में मैं आपको कोट करता हूं। अध्यक्ष और उनके अलावा जो दूसरे निदेशक हैं वे भी केन्द्रीय सरकार के द्वारा ही नोमिनेटिड हैं और उन की

पूरी सेवा सरकार के ऊपर है। अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का मुख्य कार्यपालक होगा और ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार अवधारित करे और इस प्रकार नाम निर्देशित कोई व्यक्ति, पुनः नामनिर्देशन के लिए पात्र होगा। यह तो ठीक है लेकिन वह सरकार की मर्जी पर है। सरकार के एक इंच भी इधर-उधर नहीं जा सकता। फिर आगे

"(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार को उस उपधारा के अधीन अवधारित अवधि के अवसान के पूर्व, उसे लिखित रूप से तीन मास से अन्यून सूचना देकर या उसके बदले में तीन मास का वेतन और भत्ते देकर, किसी भी समय, अध्यक्ष की सेवा समाप्त कर देने का अधिकार होगा और अध्यक्ष को भी, उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व, लिखितरूप में किसी भी समय केन्द्रीय सरकार को तीन मास से अन्यून की सूचना देकर अपना पद त्याग करने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष को भी उस उपधारा के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व लिखित रूप में किसी भी समय केन्द्रीय सरकार को तीन मास की सूचना देकर अपना पद त्याग करने का अधिकार होगा।

यह तो उनकी अपनी इच्छा पर है। लेकिन 3 महीने की सूचना देकर कभी भी हम हटा सकते हैं। सरकार की इच्छा होगी तो उसको बना दो, बना दिया, इच्छा हो गयी उसको हटा दो तो तीन महीने की सूचना देकर हटा दिया। वह ऐसा बोर्ड बनेगा जिसमें अध्यक्ष कठपुतली होगा केन्द्रीय सरकार का। वह उसकी जेब का आदमी होगा जब चाहे रबर की मोहर की तरह निकाल कर मोहर लगवा दी। आगे की धारा में देखिए कि बोर्ड की सारी शक्ति उसी व्यक्ति में निहित हैं। बोर्ड के सारे लोग जैसा कि इनकी उपधाराओं में हैं, "धारा 8 की उपधारा 2 खंड (ग) के अधीन नामनिदेशित निदेशक, एक बार में, एक वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए, जो केन्द्रीय सरकार अवधारित करे, पद धारण करेंगे, और धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) के अधीन नाम निर्देशित निदेशक ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार अवधारित करे, पद धारण करेंगे।" इसी तरह (घ) और (ङ) में जो भी निदेशक है उन सब की यही स्थिति है यानी होटल के टोटल नोमिनेटड हैं। एक डाक्टर लें, जिसको कहते हैं एक्सपर्ट स्पेशिलिस्ट, यह प्रोफशन का आदमी होगा। वही मैं देख रहा हूं इसमें नई चीज की गई है। बाकी सारी ब्यूरोक्रेसी के हाथ में होगा। ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी की सारा काम करेगी। यह काम भी सब केन्द्रीय सरकार के हाथ में रहेगा। फेडरेशन में कौन आदमी होंगे, यह भी हम जानते हैं। हमारा इस संबंध में अनुभव रहा है। ऐसे लोगों को चेयरमैन बना दिया गया जो सारा पैसा खा गये। नाफेड में यही हुआ और दूसरी संस्थाओं में यही हुआ। तपेश्वर सिंह का मामला आपके सामने है। ऐसी स्थिति में सदन एक मत होगा कि जब आप इतना बड़ा बोर्ड बनाने जा रहे हैं, सारे देश के लिए बना रहे हैं तो इसमें संसद् सदस्यों को भी आपको रखना चाहिए। सात की जगह पर आप चार आदमियों की जगह और बढ़ा दीजिए। दो लोक सभा के सदस्य हों और दो राज्य सभा के सदस्य हों। ऐसे बहुत से बोर्ड हैं जिनमें संसद के सदस्य हैं। आप भी किसी बोर्ड के सदस्य हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ससद् सदस्यों से सरकार क्यों डरती है। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरह से कोई भला होने वाला है।

मुझको इस बात का शक है कि डेरी आंदोलन को इस देश में चलाने वाले श्री कुरियन साहब की वजह से आप ऐसा करने जा रहे हैं। उन्होंने इस देश में डेरी आन्दोलन चलाया। उस आदमी को खत्म करने के लिए

[श्री राम अवधेश सिंह]

आप यह नेशनल डेरी डेवलपमेंट बोर्ड बना रहे हैं। इसमें आपके आदमी समाहित रहेंगे और उस आदमी को खत्म कर देंगे। हो सकता है राज्य मंत्री जी भी उसी राज्य के हैं, उनमें कोई बात हो गई होगी, इसलिए उनको सबक सिखाने के लिए यह बोर्ड बनाया जा रहा है... (व्यवधान)।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि यह कहा जाता है कि हम देश में आपरेशन फलड ला देंगे। आखिर इसका मतलब क्या है? क्या आप बोर्ड का गठन करके सारे देश में दूध की बाढ़ ला देंग? यह बिलकुल भी संभव बात नहीं है। जब तक आप पूरे हिन्दुस्तान में कृषि की तरक्की नहीं करेंगे तब तक दूध की बाढ़ कैसे आ सकती है? डा० लोहिया कहा करते थे कि किसी भी देश की खुशहाली को मापने के दो मापदण्ड होते हैं। एक का नाम है दूध और दूसरा है स्टील। किसी देश में कितना दूध पैदा होता है उससे पता चलता है कि उस देश में कृषि की कितनी तरक्की हुई है और किस देश में पर-केपिटा कितना दूध पैदा होता है, इसी से अन्दाजा लगता है कि किसी देश में कृषि ने कितनी तरक्की की है। इसी तरह से पर-केपिटा कितना स्टील किसी देश में पैदा होता है उससे पता चलता है कि उस देश का कितना औद्योगिक विकास हुआ है। क्योंकि दूध पैदा करने के लिए आपको पर्याप्त चारा और अनाज देना पड़ेगा और जो चारे में मिलाकर देते हैं तो गुड़ देना पड़ेगा, गेहूं देना पड़ेगा, चना देना पड़ेगा। अब चना अपने ही पेट के लिए काफी नहीं तो फिर हम पशु को कहां से खिलाएंगे। इस पर बिना ध्यान दिये हुए लगता है कि एक नारा देने की आदत हो गयी है हमारे देश में, आपरेशन फलड कर देंगे। इसी तरह से सरकार ने कह दिया और ग्रीन रिवोल्यूशन हो गया! मानसून ने धोखा दे दिया तो आपको मालूम है कि ग्रीन रिवोल्यूशन कितना हो गया... (व्यवधान)

इस बिल में हमारा सख्त विरोध यह है कि जम्हूरियत को खत्म कर दिया गया है, स्वायतत्ता को खत्म कर दिया गया है। इस बिल के गठन में, बोर्ड के गठन में जो उसका सारा कंट्रोल या शक्ति है जो इस बिल के पूरे शरीर में आत्मा है और किसी संगठन के लिए जो एक्जीक्यटिव ताकत जिसमें होती है उस बोर्ड को जो एक्जीक्यूटिव बनाया गया है यह बिल्कुल गैर जनतांत्रिक है और स्वायतत्ता का हनन हुआ है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें स्वायतत्ता की लाना चाहिए। जब चाहें तब आप चेयरमैन को क्यों खत्म कर देंगे। तीन महीने का नोटिस देकर खत्म कर देंगे, नहीं, उसकी वजह होनी चाहिए, उसको बांधिए, 2-3 साल उसकी अवधि दीजिए कि जो चेयरमैन बने उस की अवधि होनी चाहिए और उस अवधि में अगर गलत काम करे तो बोर्ड को अधिकार दीजिए कि वह उसके खिलाफ में नो कांफीडेंस लाए। स्वायतत्ता का मतलब यही है। बोर्ड को आप सुग्गा बनाकर रखते हैं और पिंजरे से जब चाहे निकाल देंगे और जब चाहें दाना डाल देंगे तो यह बात नहीं होनी चाहिए। इसलिए स्वायतत्ता इसमें जरूरी है। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि वे खुद पढ़ें। ये बहुत समझदार आदमी हैं, बहुत अनुभवी हैं और ऐसा नहीं कि कोई एकाएक राजनीति में आ गये, बहुत पुराने इनके तजुर्बे हैं मैं इनसे आग्रह करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि इसमें स्वायतत्ता दिखाई पड़नी चाहिए और दिखाई ही नहीं पड़नी चाहिए बल्कि इस को कार्य में आना चाहिए ... (व्यवधान) अंत में कहना चाहूंगा।

**उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई)**: अब इतना कहने के बाद अंत में क्या है।

**श्री राम अवधेश सिंह**: एक बात कहूंगा, बटर आयल बाहर से आया था आपको मालम है 1983-84 में आस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड से, यहां के गरीब लोगों में बांटने के लिए और वह कलकत्ता में 83 में एयरपोर्ट पर आया हजारों टन बटर आयल लेकिन नाफेड का तत्कालीन चेयरमैन सब बेचकर खा गया, थोड़ा भी नहीं बांटा गया। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सी.बी.आई. की जांच

होनी चाहिए और उस आदमी को बंद करना चाहिए, जितनी जल्दी हो उसे नाफेड के तत्कालीन चेयरमैन श्री तपेश्वर सिंह को बंद करना चाहिए। वह हजारों टन बटर आयल बेच गया। 22 रुपये किलो ग्राम बेचा जबकि वह मुफ्त में बांटने के लिए आया था।

अंत में मैं यही कह कर विदा लेना चाहता हूं कि इस बिल का उद्देश्य ठीक है लेकिन जो इसमें औजार बनाये गये हैं उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उन औजारों को ठीक ठाक करिए, बोर्ड को ठीक करिए उसमें स्वायत्तता लाएं, जनतंत्र की आत्मा लाएं और कम से कम चार संसद सदस्यों को उसमें मेम्बर बनायें। धन्यवाद।

**श्री कैलाशपति मिश्र** (बिहार) : मैं जानकारी के लिए मंत्री महोदय से स्पष्टीकरण चाहूंगा कि आपरेशन फ्लड-1 जब शुरू हुआ था तो उसमें एक शर्त थी कि जहां कहीं प्लांट लगाए जायेंगे या कायम किये जायेंगे वे अमूल पैटर्न पर चलेंगे। अमूल पैटर्न की शर्त थी जो इस बिल को पढ़ने से पता नहीं लग रही है और दूसरा राज्यों में एक विभाग के द्वारा संचालित होगा एक कोआपरेटिव के द्वारा। यह शर्त रहने के बाद भी कई राज्यों ने इसका वायोलेशन किया है। प्लांट चला गया एनिमल हजबेंडरी में, सोसाइटी चली गई कोआपरेटिव में, इसलिए वह पूरी की पूरी स्कीम चौपट हो गई। इस पर कोई निश्चित गाईडेंस है क्या इस विधेयक के अनुसार? जरा इन दो बातों का आप स्पष्टीकरण अवश्य करें।

SHRI G. S. DHILLON: Mr. Vice-Chairman, I am very thankful to the honourable Members; *at least one thing* I am very happy about and that is that no Member opposed the idea of merger or amalgamation of NDDB and IDC. I would like to bring to the attention of the honourable Members that the basic idea behind this Bill was amalgamation or merger of these two bodies, NDDB and IDC. It was suggested by the Committee on Public Undertakings, I think, in 1976 or 1977. It was again suggested by the Agricultural Commission after a year or so and it was again considered in 1984 for final decision by L. K. Jha Committee. So there is at least this point on which Members have not differed. Shri Jagdambi Prasadji raised some point and asked why IDC is merged into NDDB and why not NDDB into IDC? I have not really understood what his objection was about, what his real idea was, behind this question. We had set up NDDB earlier than IDC. And IDC, when it was formed, was formed just as a supportive body, as I said in my earlier speech. It was a supportive body, and that is the reason. When two persons embrace each other, you don't ask who embraces whom. They become one. The name makes very little difference. NDDB had a history behind it. It has some name inside the country, and at this stage outside the country also, and there is a history behind Anand and Anand Dairy. I have been associated with this movement, particularly my interest in Anand dates back to three decades, more than 25 years. I was very much interested in the history of this; it is worth studying, it is worth knowing. Khera District Milk Suppliers Union had started supplying milk to various units in Bombay. Then they again changed into another body. And interestingly enough, Babu Rajendra Prasad Ji was also associated with it, so also Shri Morarji Desai later on it kept developing till Dr. Kurien came into the picture. He joined it as an ordinary worker and he gave it a shape; he developed the idea, and the credit goes to the people of the whole of Gujarat. Perhaps they are all born cooperators. The idea was derived from many other cooperators. Dr. Kurien, who happens to be from Kerala, completely identified himself with this enterprise and the people of Gujarat and the result is that it is a big success, it is a big success story, which would inspire many other people. I really wonder of a success in Gujarat and parts of Maharashtra and not in other parts of the country. I happened to meet Dr. Kurien a number of times during the last many

[Shri G. S. Dhillon]

years and what he tells is that the basis for this, the whole idea behind this, is the co-operative movement, the village societies, the district-level societies and federations and above all the people. So, I join some of the Members here in paying my tributes to Dr. Kurien who has built up a great reputation inside and outside the country. The name of Dr. Swaminathan was mentioned. All of us pay our humble tributes to them because of the success story of which they are the authors.

Sir, Shri Jagadambi Prasad Yadav asked me why the name, "Operation Flood", is not changed into an Indian name. As you will see, Sir, when we entered into an agreement with the EEC and other international bodies, this name was unanimously selected for many reasons, by the EEC and by other organizations in our own country.

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : मैंने इंडियन शब्द नहीं जोड़ा था, यद्यपि यह होना चाहिए था । मैंने फ्लड शब्द की परिभाषा.... *(व्यवधान)*

**श्री जी० एस० ढिल्लों** : यह आसाम का फ्लड तो खतरनाक है, दूध का आ जाए तो अच्छा है यह तो ठीक है, फ्लड आप ठीक कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि जब मैं औरों से बात करता हूं तो वे भी फ्लड नहीं समझते, समझाना पड़ता है । तो

"Operation Flood" is very much linked with this and it is one of the greatest achievements of the NDDB. Members talked of butter oil and skimmed milk powder and their recombinations and all that. I can vouchsafe that what they got from outside they used and whatever income they earned was ploughed back into its expansion and development. That is the reason why this dairy project, which was a small unit at one time in Anand, has now spread to the other parts of the country.

SHRI DARBARA SINGH (Punjab): I would like to say one thing. Butter oil was sold in the market and we have purchased it here in Delhi.

SHRI G. S. DHILLON: That is not Anand Dairy's or NDDB's. Many gifts come to other institutions also, and they come to the States also. My Bill before the House is about the NDDB and not about what was sold in the market. I will be so happy if you just give me an instance of where it was sold and then I will take action or enquire into it.

SHRI DARBARA SINGH: I only state that some Members of Parliament have said that what was got from outside as gift was being sold in the market by many institutions.

**श्री राम अवधेश सिंह** : हजारों टन बेचा गया है, दो-दो किलो नहीं हजारों टन बेचा गया है ।

SHRI G. S. DHILLON: I am talking of the NDDB and the gifts that come to the NDDB. What you say may be correct somewhere else.

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : 75 करोड़ रूपये का बेचता है और हमेशा पैसा लेकर बेच रहे हैं । यह तो रोकना चाहिए ।

SHRI G. S. DHILLON: So, Sir, I do not think that the gifts and allocations from the EEC could be handled like that. They have to account for every ounce of it and they were all used by the NDDB or Anand and their earnings were ploughed back into the project and that is the secret of success of this dairy enterprise. That is the E.E.C. background. This is the first time that I have learned about the T.B. in Gujarat. But T.B. is also there in other States where there is no dairying. So, we have to know about it more.

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : मैंने मंत्री जी ऐसे नहीं कहा । जो था, कहा है । मैंने रिपोर्ट को पढ़ा है, कई बार रेफरेन्स किया और आपको भी लिखा है कि टी बी० वहां ज्यादा हो गई है और बच्चे की मौत अधिक हुई है ।

**श्री एस० जी० ढिल्लों** : मैं कहूं कि आपकी इतनी चिट्ठियां आती हैं, मुझे वक्त भी चाहिए । आपकी दो-दो चिट्ठियां एक-एक दिन में आती हैं तो मुझे जवाब देना पड़ता है । इसका टी०बी० का अगर किसी तरह कनेक्शन रखते हैं हमारे डेयरी डवलपमेंट से..

I have moved about in the villages also. There is complete freedom of coming and going there. At least, none has complained to me about it. Your idea is that the milk suppliers supply the entire quantity of milk and very little remains for their children. That is what you really meant. I think that worries me also. We will have to find out why they should sell the entire quantity of milk. He is the owner of the cow. He milks it and he keeps it. I think that *kisan* is not a good *kisan* who does not care for family and his children. I come from a village. I am a farmer myself. In the past selling milk was considered as something very much against the social order. Later on, it developed the commercial side also when the ideas of dairies, cream, butter and milk came. At that time, the commercial side came up. This is something about which we should be cautions and something should be kept for the children. The village is the basis and there are co-operatives societies, district federations and all that. If there is no milk left at the source for consumption, then it should cause anxiety to our Health Department, to our nutrition experts, etc. and we can make up the policy matter with the coming Board. Jagdambi Prashad Ji has said it and this argument struck me also. I have thought about it. I will take it up, but not during the discussion.

Some points were raised about autonomy and the nomination system. We have tried to maintain the spirit and pattern which succeeded in the NDDB and IDC. We have not brought about many changes. The hon. Members asked as to why that is so. I said that perhaps it is our over-confidence in Dr. Kurien that even if there is no Board, we will able to keep it up much better than a regularly elected Board. But Dr. Kurien is not going to be there all the time as we are not expected to remain Members of Parliament all the time. So far, we have full confidence in that gentleman. We are not worried under his Chairmanship.

You asked about the autonomy or nomination system. The qualifications of the Chairman in clause 8(2)(a) and the other expert who is nominated as dirctor in (e) are laid down in the Proviso as to who will be the Chairman and who will be that expert. The Chairman and the Director referred to in Clause (a) and (e) of Sub-section (2) shall be persons professionally qualified in one or more specialities, namely, dairying, animal husbandry, rural economics, rural development, business administrations or banking etc. We will not be able to find them amongst the farmers. That is the reason why, with this background, there was no alternative except to have nominations. But when we nominate a Chairman or Director, knowing the great extensive character of the organisation, at least I can assure you, we have to act with responsibility and with due consideration for this proviso. As far as the farmer's representative is concerned, when you come up to the Federation, there are so many federations linked with the Dairy Development Board—village societies, other level societies, and coming to the district and the federations. They are all elected at all levels. When we provide two of their representatives, the elective basis just starts from the beginning and that goes on till the finally elected representatives by the Chairman or the people, who comprise those federations, elect two of them. Now if we fix their term of tenure of say about 4 or 5 or some more years then those federations will be deprived of their right to bring about frequent rotation amongst their members, to give proper representation on this Board. That is the idea behind it to fix their term for one year. As far as the Executive Members are concerned, we must have somebody who has some background and knowledge of administration behind him. That is why we had to pick up some from them also. But yesterday in the Lok Sabha a Member asked me, why have you only one member from the

[Shri G. S. Dhillon]

Government? I said, as you would have seen my speeches in Andhra and all other places, I am not in favour of even one Government representative in the co-operative organisation. I have been advocating for a legislation on compulsory elections which we are looking into now. I have seen some States which are not having elections to the co-operatives since many years. We will see that they are held within the shortest possible time. So, we will send only one Director from Government as a link between the Department here and the Board without any other intention. I am not in favour of even one. But we have to keep the link with the Government. That is the main reason why we have provided for one only.

Sir, the hon. Member there was asking me about the transfer of property and vesting of property. I could not do two things—listen to him and also locate the proper Clauses. That is Clause 6. If you will see that there is enough provision for that. In the case of looking after the interests of the employees, Clauses 19 and 20 are enough indicators. As I have told you, this is for restructuring and streamlining. In the past I think, some of you are still there—after Sardar Patel's efforts, we had to merge some States. PEPSU into Punjab and other, we had to restructure the new State. So, an officer with one designation there, perhaps, may not fit into the restructured organisation. So, they might be a little bit dislocated. Without embrassing their interests or the guarantee to their maturity and experience, with a little change of designation, with a little change of duties, with a little change or addition to change other responsibilities, we will have to restructure. As far as employment guarantee to them is concerned, we have given enough assurance to them that officers and other employees would be properly accommodated. But there is no assurance that there will be no surplus staff or there will be no redundancy. In that case I assure you that they will not suffer any loss in their compensation and in their gratuity and other interests. That will also be looked into. But I cannot foresee whether they will all be accommodated or whether there will not be any surpluses or redundancy. But the effort will be made to avoid that.

Sir, you asked about the management. As you will see from the definition of the board, the board is given all the authority of superintendence, direction and management and the chairman exercises that authority on behalf of the board. You cannot expect all the five people exercising the authority at one and the same time. After all, as is the practice in many other organisations, the authority has to be exercised through the chairman or the managing director or whatever you call him.

As for M.Ps and other being accommodated, I think M.Ps. should avoid it. We have enough of prestige and honour here. There, that body will be dealing with contracts, international financial agreements, inflow and outflow. I do not think that M.Ps. should be involved in it and I do not think whether it will be legally correct or not, that is why we avoid it. Otherwise, I keep nominating Members here and there. But for the people from outside I can tell you the story of Bihar sometimes, how the movement failed there and how we had to take some other recourse to develop that movement. But their annual reports, their activities, their performance, their achievements they are laid on the Table of this House every year. (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The State Governments also take MLAs on boards. I do not think there can be any legal difficulties. MLAs are also taken on State Road Transport boards.

**श्री मीर्जा इर्शादबेग** : यह कहकर के इस बात को टाल देना चाहते हैं...

**श्री जी० एस० ढिल्लों** : मैं टाल नहीं रहा हूं।

**श्री मीर्जाइर्शाद बेग** : मुझे क्षमा करें, यह बात कहना कि इन्टरनेशनल की बात है, कांट्रेक्ट्स की बात है, ट्रांजेक्शन की बात है इस वजह से हम एम० पीज को एवॉयड कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

**श्री जी० एस० ढिल्लों :** मैं ठीक कह रहा हूं । मैंने पहले भी इसको उठाया था मैं डिसकस करता रहा हूं । अभी इसको यहीं रहने दीजिए । काफी व्यक्तियों से बात कर चुका हूं । **(व्यवधान)**

श्री नीजा इर्शादबेग : इनकी क्षमता को, इस बात को इस तरह से सरपास कर दिया जाये, यह ठीक नहीं है । ब्यूरोक्रेटिक पैटर्न क्या उतना ही सही है ? एक क्षेत्र में अच्छे ढंग से हम आगे गये हैं उसे और ज्यादा भी फोर्स दे सकते हैं । **(व्यवधान)**

SHRI G. S. DHILLON: The only success depends on when we have a smaller and compact board. When we have a compact body, we have to see that it works on the same reputation as that it had in the past.

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Sir, would you please yield for a minute? मंत्री महोदय का यह कहना जैसे शुगर कोटेड होता है . . .

**उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) :** आप सीधी बात कहिये ।

**श्री राम अवधेश सिंह :** मैं यह कहता हूं कि जैसे इन्होंने गरिमा की बात कहीं है, संसद सदस्यों की गरिमा है भी लेकिन संसद में ही यह बात कहें तो ठीक नहीं है । जब संसद सदस्य मंत्री हो जाये और इन्टरनेशनल डील की बात करे तब तो ठीक है (व्यवधान) कई बोर्डों में संसद सदस्य हैं क्या उस समय उनकी गरिमा नहीं गिरती ? **(व्यवधान)**

SHRI G. S. DHILLON: It will not hold for all time; we will examine as to what type of safeguards we can have if we want to bring some representation from Parliament or outside; but for the present, I am not in a position to do so.

**श्री राम अवधेश सिंह :** हाऊस की भावना का आदर करें . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देशाई) : इन्होंने सुन लिया है ।

**श्री जी० एस० ढिल्लों :** अभी मैं आपसे विनती करूंगा कि अभी जरा ठहर जाइये, इसका बोर्ड बनने दीजिए । साल, डेढ़ साल होने दीजिए फिर आप जैसा कहेंगे उस पर बात कर लेंगे । अभी इसको ऐसे ही चलने दीजिए । इसकी कम्पेक्ट बाडी है, मर्जर करना है Pattern of success story is behind it. It has a future but it has retrospect both of the IDC and NDDB before merger also, we have to go through many points. Another thing is, now the House will have some sort of control over it. "The National Dairy Development Board shall furnish from time to time to the Central Government such returns as the Central Government may require." We can ask for any return, any information. "Any scheme or regulation made under the Act in relation to conditions of service, or like matters of officers or other employees of the National Dairy Development Board may be made retrospectively from any date not earlier than the appointed day." जिस दिन इसका एन्फोर्समेंट होगा, जिस दिन से शुरू होगा उसी दिन से होगा । इन्कम टेक्स की बात मैंने कह दी है । **(व्यवधान)** आपने और भी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा था कि आनन्द पैटर्न पर होगा । जितना इसका डवलपमेंट है, जितनी इसकी अनिग्स हैं They are all based on the pattern on which we set up.

**श्री कैलाशपति मिश्र :** मेरा प्रश्न यह नहीं था । मेरा प्रश्न यह था कि आपरेशन फ्लड –1 जब शुरू हुआ, जब यह एन्टर हुआ उस वक्त शर्त यह थ कि जहां कहीं इन्स्टाल करेंगे अमूल पेटर्न के ऊपर इंस्टाल करेंगे । अमूल पैटर्न पर इन्स्टाल करने की पहली शर्त थी । जो जूरिसडिक्शन डिमारकेटिड थी उसके अंदर यह था कि कोई दूसरा इन्टर-

[श्री कैलाशपति मिश्र]

वीन नहीं कर सकता । उसी प्रकार से एक खतरा और दिखाई दे रहा है । (व्यवधान)

**श्री जी० एस० ढिल्लों :** अमूल से मतलब आपका आनन्द से है? अमूल तो मक्खन का नाम है । आनन्द के पैटर्न पर यह हो रहा है ।

**श्री कैलाशपति मिश्र :** मंत्री महोदय आप कृपा करके उत्तर पढ़ें । हमने अमूल मक्खन भी देखा है और आनन्द को भी देखा है, वहां की सोसाइटियों में जाकर देखा है । पूरा लिटरेचर उनका पढ़ा है । अमूल पैटर्न अलग है। (व्यवधान)

**श्री जी० एस० ढिल्लों :** मैं इसको देख लूंगा मैं ऐसे जवाब नहीं देना चाहता । जो पैटर्न रखा है, मेन स्पीच में लिखा है आनन्द पैटर्न । अमूल अगर है तो मैं देख लूंगा । फिर बाद में बात करूंगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, काफी बेसिक प्वाइंट्स का मैंने जवाब दे दिया है । अब मैं चाहूंगा कि इस बिल को पास कर दिया जाना चाहिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The question is:

"That the Bill to declare the institution known as the National Dairy Development Board in the State of Gujarat to be an institution of national importance and to provide for its incorporation and for the vesting in that body corporate of the undertakings of the Indian Dairy Corporation with a view to provide for the administration and the carrying on of the functions to be performed by the body corporate more effectively throughout the country and for matters connected therewith and incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

*The motion was adopted.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** श्रीमन्, 9, 10, 11 में भी सुधार किया जाय । उसमें ये शब्द रखे जायें . . . (व्यवधान)

*Clauses 2 to 50 and the Schedule were added to the Bill.*

*Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.*

SHRI G. S. DHILLON: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

*The question was proposed.*

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** श्रीमन, मैं सिर्फ दो शब्द कहना चाहता हूं । इस एक्ट का आधार पशु हैं । दुधारू पशुओं के बारे में कैसी नीति होनी चाहिए, इसका भी उल्लेख होना चाहिए । पशु जब मैं कहता हूं तो पशु का अर्थ होता है, पशु, उनके लिए चारा, पशुओं का पालन और अन्य सब बातें आती हैं । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी ऐसी गायें हैं उनकी संख्या 153 लाख है और दूध का जो संग्रह होता है वह 183 लाख लीटर है । इसका अर्थ हुआ कि 1.2 लीटर प्रति दिन प्रति गाय का दूध का उत्पादन हुआ । इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि पशु का संरक्षण करना बहुत जरूरी है । इसके अलावा दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि बोर्ड की मीटिंग और मैनेजमेंट की बैठक के बारे में साफ-साफ उल्लेख होना चाहिए, अन्यथा जब तक आप इसको आवश्यक नहीं करेंगे, बैठकें नहीं होंगी । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आनन्द ही अगर इसका सेन्टर रहे तो चार इसके जोन हो जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम ।

**श्री जी० एस० ढिल्लों :** आपको पता होगा रीजनल सेन्टर तो है ही । दूसरी जो आपने पशुओं की बात कहीं है, एनीमल हजबेन्डरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है । हमने लगभग

681 करोड़ रूपया ओपरेशन फलड में दिया है । उसमें पशुओं का पालन भी आता है और बाकी सब सुविधाए भी जाती हैं उसमें । 103.5 करोड़ रुपया इसी काम के लिए रखा गया है ।

**श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** पशु धन के बारे में मूल एक्ट में प्रावधान होना चाहिए ।

**श्री जी० एस० ढिल्लों :** पशुओं के लिए जो हमारे प्रोग्राम हैं वे चल रहे हैं और जो पीछे चल रहे थ वे आगे भी चलते रहेंगे ।

**श्री राम अवधेश सिंह :** श्रीमन्, थर्ड रीडिंग पर तो हमें संशोधन पेश करने का अधिकार होना चाहिए । मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो धारा 9 की उपधारा (6) है, यह बहुत खतरनाक है । मैं चाहता हूं कि इसमें संशोधन किया जाय ।

**उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई):** यह अब कैसे हो सकता है ।

SHRI G. S. DHILLON: I have explained the position to him.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI). The question is:

"That the Bill be passed."

*"The motion was adopted"*

---

**MESSAGES FROM THE LOK SABHA**

**I. The Atomic Energy (Amendment) Bill, 1987.**

**II. The Expenditure-Tax Bill, 1937.**

**III. The Legal Services Authority Bill, 1987.**

ADDITIONAL SECRETARY: Sir, I beg to report to the House the following messages received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:—

I

"In accordance with the provisions of rule 120 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to inform you that Lok Sabha, at its sitting held on the 27th August, 1987, agreed without any amendment to the Atomic Energy (Amendment) Bill, 1987, which was passed by Rajya Sabha at its sitting held on the 3rd August, 1987."

II

"In accordance with the provisions of rule 96 or the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Expenditure-Tax Bill, 1987, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 27th August, 1987.

The Speaker has certified that this Bill is a Money Bill within the meaning of article 110 of the Constitution of India."

III

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Legal Services Authorities Bill, 1987, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 27th August, 1987."

Sir, I lay a copy each of the Expenditure-Tax Bill and the Legal Services Authorities Bill on the Table of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): The House is now adjourned till 11 A.M.

The House then adjourned at fifty-one minutes past ten of the clock till eleven of the clock on Friday, the 28th August, 1987.